न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी आई0डी0सं03628/2012/एलआर/सीकर

श्रीमति भगवती कंवर पुत्री स्व0नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

---प्रार्थी

बनाम

1—विक्रमसिंह दत्तक पुत्र स्व0नाथूसिंह राजपूत निवासी ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये वारिसान:—

1/1—दिव्या कंवर पुत्री स्व0नाथूसिंह राजपूत
1/2—टिव्वंकल कंवर पुत्री स्व0नाथूसिंह राजपूत
1/3—मनीषा कंवर पुत्री स्व0नाथूसिंह राजपूत
1/4—मानवेन्द्रसिंह पुत्र स्व0नाथूसिंह राजपूत
1/5—राजवेन्द्रसिंह पुत्र स्व0नाथूसिंह राजपूत

---अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री हरिशंकर भारद्वाज, सदस्य

उपस्थित:
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी
श्री भवानीसिंह व श्री श्याम बाबू पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक 13 जून, 2012

निर्णय

1— हस्तगत निगरानी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के द्वारा अपील संख्या 10/2011 में पारित निर्णय दिनांक 4—5—2012 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी पंचायत समिति दांतारामगढ़ के द्वारा दिनांक 15—5—90 को स्वीकृत नामान्तरकरण सं01924 के विरूद्ध निगराकार/अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ ने प्रकरण को अपील सं09/2008 दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 19—4—2011 के द्वारा खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष करने पर उन्होंने भी अपने निर्णय दिनांक 4—5—2012 के द्वारा खारिज कर दी। इस द्वितीय अपील के खारिज होने पर अतिरिक्त

संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 4–5–2012 के विरूद्ध हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस निगरानी के श्रवणार्थ ग्राहयता पर सुनी गई।

4– अभिभाषक निगराकार ने उनके निगरानी ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी ने निगराकार के पिता की मृत्यु के पश्चात उसका विरासतन इंतकाल बिना उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर दिये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के विपरीत दिनांक 15–5–90 को स्वीकृत कर दिया। इसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के समक्ष अपील करने पर उन्होंने अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दी। जब प्रार्थिनी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष द्वितीय अपील की तो उन्होंने भी द्वितीय अपील दिनांक 4–5–12 को खारिज कर दी। उक्त दोनों ही निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

5– उनका यह भी कथन है कि ग्राम पंचायत को विरासतन इंतकाल स्वर्गीय नाथूसिंह के सभी वारिसान जिसमें प्रार्थिनी भी शामिल है के नाम स्वीकृत करना चाहिए था जबकि उसने उसके पिता नाथूसिंह के गोद पुत्र विक्रमसिंह अकेले के नाम स्वीकृत कर दिया जो निरस्तनीय है।

6– अभिभाषक प्रार्थिनी का कथन है कि ग्राम पंचायत ने उत्तराधिकार का नामान्तरकरण उसके पिता नाथूसिंह की मृत्यु के 6 वर्ष पश्चात खोला किन्तु नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व उसके वारिसान को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

7– उनका आगे कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील करने पर उन्होंने इस तथ्य को भी नजर अंदाज कर दिया कि ग्राम पंचायत ने बिना कोरम के ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया है। उन्होंने अपील पर गुणावगुण के आधार पर विचार किये बिना मात्र मियाद के आधार पर अपील खारिज कर दी जो नियम विरूद्ध है।

8– उनका यह भी कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अवैध निर्णयों के विरूद्ध अपील को महज मियाद के बिन्दु पर खारिज नहीं करना चाहिए। अंत में उन्होंने निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करने की इस्तदुआ की।

9— अभिभाषक अप्रार्थी ने अभिभाषक निगराकार के तर्को का खण्डन करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी खारिज करने की इस्तदुआ की।

10— उनका कथन है कि नामान्तरकरण तस्दीक करते समय निगराकार/ अपीलार्थी पक्षकार नहीं थी ऐसी स्थिति में उसे अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं ली।

11— उनका यह भी कथन है कि नामान्तरकरण दिनांक 15—5—90 को स्वीकृत किया गया है जबकि उसके विरूद्ध अपील 18 वर्ष पश्चात की गई है। इतने विलंब से प्रस्तुत अपील को अपीलीय न्यायालयों ने सही रूप से खारिज किया है। उनके द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें विलंब के कारण सन्तोषजनक एवं विश्वसनीय नहीं थे। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालयों ने उसे स्वीकार नहीं करके कोई विधि विरूद्ध कार्य नहीं किया है।

12— अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि विलंब को क्षमा किये बिना अपील ग्राहय नहीं होती है। ऐसी स्थिति में दोनों ही अपीलीय न्यायालयों ने 2006(2)आरआरटी 1092 पर माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई अवधारणा के अनुरूप निर्णय पारित है।

13— उनका यह भी कथन है कि दोनों ही अपीलीय न्यायालयों का निर्णय समवर्ती निर्णय है जिसमें हस्तक्षेप न्यूनतम किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज फरमाई जाये।

14— हमनें उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। दोनों अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया। प्रकरण का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण सं01924 दिनांक 15—5—90 को मजमे आममें तस्दीक किया है। निगराकार ने प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरूद्ध 18 वर्ष के पश्चात अपील प्रस्तुत की है। 1998 डी0एन0जे0 राज0 767 पर यह अवधारित है कि "In every suit or application if limitation is prescribed, the question of limitation is to be considered first, even if the dispute is not raised." प्रस्तुत प्रकरण में यह प्रश्न प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठाया गया था ऐसी स्थिति में उस पर विचारण आवश्यक था। अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2006(2)आरआरटी 1092 के अनुसार तो "without condoning the delay[appeal is not competent" अर्थात विलंब से प्रस्तुत अपील तभी ग्राहय है जब उसके

प्रस्तुतीकरण में हुए विलंब को क्षमा किया जा सके। विलंब तभी क्षमा किया जा सकता है जब धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारण बताया जा सके। आर0बी0जे0(14) 2007 एस0सी0 438 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णीत किया है कि "when there is no satisfactory reason for condoning delay, it cannot be condoned." प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत विलंब के कारणों को विश्वसनीय एवं संतोषजनक नहीं माना। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपील को खारिज करना अनुचित नहीं है।

15– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993(2)एस0सी0सी0 162 पर अवधारित किया है कि "The law of limitation may operate harshly but it has to be applied with all its vigour and the courts or tribunals cannot come to the aid of whose who sleep over their right and allow the period of limitation expire."

16– न्यायालय अपील प्रस्तुत करने में समय सीमा को कितना महत्व देता है यह 1994 आरआरडी 389 HC के अवलोकन से ज्ञात होता है जिसमें राज्य के द्वारा बोर्ड के समक्ष 96 दिन विलंब से प्रस्तुत अपील को उचित नहीं माना। प्रस्तुत प्रकरण में तो अपील 18 वर्ष के पश्चात और वह भी बिना कोई विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण के प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ एवं द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के द्वारा मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज करने को हम नियम विरूद्ध नहीं मान सकते।

17– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय जिसमें समवर्ती निष्कर्ष है में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.6.12

(हरिशंकर भारद्वाज)
सदस्य